तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भागवत बनाम राज० सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
15/4/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित बहस हेतु समय चाहा है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 1/5/26 को पेश हो।	
1/5/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 8/5/26 को पेश हो।	
8/5/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर अभिलेख दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः– 11/2024

1. भगवत पुत्र हरीदास जाति बाबाजी ब्राह्मण निवासी अंधियारी तहसील उच्चैन।
2. दाउदयाल पुत्र मांगीलाल जाति बाबाजी ब्राह्मण निवासी अंधियारी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर राज0।

.....असल अप्रार्थी

2. योगेश
3. नैलम पुत्रान मांगीलाल
4. लक्ष्मी
5. कमलेश
6. सुषमा पुत्रीयान मांगीला समस्त जातियान बाबाजी ब्राह्मण निवासी अंधियारी।

.....तरतीवी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.

उपस्थितिः–

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः–08.05.2026**

प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111,128,136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीण एवं तरतीवी अप्रार्थीण की सहखातेदारी की आराजी खाता संख्या 95, 214, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 बाके ग्राम अंधियारी तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त आराजी से खाता संख्या 95 की आराजी हम प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी एवं विक्रय पत्र में हमने हमारे पिता का नाम हरीदास दर्ज कराया था लेकिन जमाबंदी में सहवन से उक्त खाते की आरजी मे हम प्रार्थीगण के पिता का नाम भूल से हरीदास के स्थानप र हरीदत्त कर दिया है। शेष आराजी हम प्रार्थीगण की पैत्रिक आराजी है तथा हम प्रार्थीगण के पिता का नाम हरीदास है एवं जाति बाबाजी ब्राह्मण है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की भूल से खाता संख्या 214, 281 में पिता का नाम हरीदास के स्थान पर कमशः हरीदत्त एवं हरीराम एवं जाति बाबाजी ब्राह्मण के स्थान पर ब्राह्मण दर्ज कर दी गई है एवं इसी प्रकार अन्य सभी खातों में जाति कहीं ब्राह्मण तो कही बाबाजी दर्ज कर दी गई है। जब प्रार्थी संख्या 2 ने अपने पिता की मृत्यू के पश्चात् अपने पिता मांगीलाल की विरासत दर्ज कराने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के पास पहूंचा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने जमाबंदी में मुझ प्रार्थी के पिता के पिता का नाम दुरूस्त नहीं होने के कारण विरासत दर्ज करने से इन्कार कर दिया जिसके कारण प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड खाता

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

संख्या 95, 214, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 बाके ग्राम अंधियारी तहसील उच्चैन में प्रार्थी संख्या 1 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 2 के मृतक पिता के पिता के नाम में हो रही अशुद्धि एवं अनकी जाति में हो रही अशुद्धि को शुद्ध कराने बाबत् उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 6 बाबजूद रजिस्टर्ड तामील हाजिर अदालत नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध दिनांक 10.03.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी असल तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक जांच एवं मौका रिपोर्ट पटवारी वाद के सन्दर्भ में भगवत प्रसाद पुत्र हरीदास की जाति बाबाजी है। मुताबिक पटवारी जांच सभी खातों 95, 214, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 में जाति बाबाजी एवं एवं हरीदत्त के स्थानप र नाम हरीदास किया जाना अवगत कराया गया है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी संख्या 2 के पिता मांगीलाल की मृत्यू हो चुकी है जिसके कारण उसकी ओर से उसके पुत्र प्रार्थी संख्या 2 ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। कथन किया कि खाता संख्या 95, 214, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 बाके ग्राम अंधियारी तहसील उच्चैन में स्थित है। खाता संख्या 95 में वर्णित आराजी प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 के पिता ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद की थी एवं वयनामा में प्रार्थी के पिता का नाम हरीदास दर्ज कराया था परन्तु सहवन से उक्त खाते में प्राथी के पिता का नाम हरीदास के स्थान पर हरीदत्त दर्ज कर दिया गया है एवं जाति बाबाजी ब्राह्मण के स्थान पर ब्राह्मण दर्ज कर दी गई है एवं शेष सभी खातों की आराजी प्रार्थीगण की पैत्रिक आराजी है जिसमें खाता संख्या 281 में प्रार्थी के पिता का नाम हरीराम एवं जाति ब्राह्मण दर्ज कर दी गई है एवं उसी प्रकार खाता संख्या 280 में जाति ब्राह्मण दर्ज कर दी गई है एवं खाता संख्या 214 में पिता का नाम हरिदत्त एवं जाति ब्राह्मण दर्ज कर दी गई है। उक्त सभी खाता संख्या में वर्णित खसरा नम्बरान में प्रार्थी संख्या 1 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 2 के पिता के पिता का नाम हरीदास एवं जाति बाबाजी ब्राह्मण शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा योग्य अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न शपथ पत्र एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2075–78 खाता संख्या 95, 214, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, नामान्तरकरण पंजिका ग्राम अंधियारी भू–राजस्व अभियान कैम्प उच्चैन दिनांक 18.10.77 एवं नामान्तरकण रजिस्टर ग्राम अंधियारी दिनांक 05. 12.84 का अवलोकन किया गया। उक्त दोनो पंजिकाओं में प्रार्थी संख्या 1 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 2 के पिता के पिता का नाम हरीदास दर्ज है एवं तहसीलदार उच्चैन व पटवार हल्का अंधियारी द्वारा प्रार्थीगण की जाति बाबजी किया जाना उचित बताया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि आराजी खाता संख्या 95, 214, 280, 281 में प्रार्थी संख्या 1 भगवत के पिता का

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

ाम हरीदास एवं जाति बाबाजी एवं प्रार्थी संख्या 2 के पिता मांगीलाल के पिता का नाम
रीदास एवं जाति बाबाजी शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)